मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—

दिनांकः20.01.2025

थाना लालगंज पुलिस द्वारा पिकअप में क्रूरता पूर्वक बांधकर वध हेतु ले जाए जा रहे 11 राशि गोवंश बरामद, 02 शातिर गो-तस्कर गिरफ्तार —

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व गो-तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में जनपद में गो-तस्करी तथा इसमें संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध अभियान चलाकर लगातार अलग-अलग थाना क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में आज दिनांकः20.01.2025 को थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर लालगंज क्षेत्रान्तर्गत हल्दी बांध जंगल के पास से पिकअप सवार 02 शातिर गो-तस्करों 1.भोला भारतीय पुत्र लालचन्द्र निवासी बिसौराखुर्द थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर, 2.शरीफ खलीफा पुत्र हनीफ खलीफा निवासी चैनपुर थाना चैनपुर जनपद कैमूर(भभुआ)बिहार को गिरफ्तार किया गया। मौके से पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक बांधकर वध हेतु ले जाए जा रहे कुल 11 राशि गोवंशों को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे वाहन स्वामी के बताये अनुसार पिकअप में गोवंशो को मध्य प्रदेश से लादकर बिहार ले जाकर ऊंचे दामों पर बेच देते है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया तथा गो-तस्करी में प्रयुक्त पिकअप अंकित वाहन संख्याःUP67T7969 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.भोला भारतीय पुत्र लालचन्द्र निवासी बिसौराखुर्द थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-28 वर्ष।

2.शरीफ खलीफा पुत्र हनीफ खलीफा निवासी चैनपुर थाना चैनपुर जनपद कैमूर(भभुआ)बिहार, उम्र करीब-37 वर्ष।

बरामदगी विवरण—

- एक अदद पिकअप अंकित वाहन संख्याःUP67T7969.
- 11 राशि गोवंश(03 राशि गाय, 02 राशि बछड़ा व 06 राशि बैल).

आपराधिक इतिहास —

A.अभियुक्त भोला भारतीय(थाना अदलहाट एचएस-57A) उपरोक्त—

1.मु0अ0सं0-58/2017 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चकिया जनपद चन्दौली।

2.मु0अ0सं0-03/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चकिया जनपद चन्दौली।

3.मु0अ0सं0-04/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।

4.मु0अ0सं0-332/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।

5.मु0अ0सं0-970/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना को0देहात जनपद मीरजापुर

B.अभियुक्त शरीफ खलीफा उपरोक्त —

1.मु0अ0सं0-34/2021 धारा 307,41,411 भादवि थाना इलिया जनपद चन्दौली।

2.मु0अ0सं0-35/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0-14/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लालगंज मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

बहद ग्राम बरकछ हल्दी बांध जंगल के पास से, आज दिनांकः20.01.2025 को समय 05:15 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक संजय कुमार सिंह थानाध्यक्ष लालगंज, जनपद मीरजापुर।

उप-निरीक्षक श्रीराम सिंह थाना लालगंज, जनपद मीरजापुर।

मुख्य आरक्षी योगेन्द्र यादव, इस्लाम खान व राकेश यादव थाना लालगंज, जनपद मीरजापुर।

आरक्षी श्रीनिवास यादव, राहुल कुमार व विवेक कुमार थाना लालगंज, जनपद मीरजापुर।